

न्यायालय तहसीलदार मसूदा, जिला - अजमेर

नीमगढ

यनाम श्री होसा
जाति मेरात

दिनांक 131 / 2019
पुत्र चन्ना
निवासी रूपोले

भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल आर एक्ट

-निर्णय:-

दिनांक 11/7/19


पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित। मन पत्रावली का अगलाकन विधा। पटवारी हल्का नीमगढ द्वारा सन् 2076 वा. रूपोले का सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 6702 कुल रकबा 1514 किरम भूमि ढाली में से रकबा 19 बीघा भूमि पर अप्रार्थी श्री होसा पुत्र चन्ना जाति मेरात निवासी रूपोले द्वारा नाजायज कावठा कर लगा जाने की भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल आर एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल आर एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी का भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल आर एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक 11.7.19 को मुकाम मसूदा पर उपस्थित होने वाकत जारी किया गया।

अप्रार्थी ने नोटिस के जवाब में अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नहीं है।

मैंने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस दस्तावेज एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार सिवायचक खाते में दर्ज है। अप्रार्थी बतौर आतिक्रमी उक्त भूमि पर कायज है।

अतः श्री होसा पुत्र चन्ना जाति मेरात निवासी रूपोले को सिवायचक भूमि ग्राम रूपोले के खसरा नं. 6702 कुल रकबा 1514 किरम भूमि ढाली में से रकबा 19 भूमि पर किए गए नाजायज कब्जे/काश्त के लिए आतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते हैं कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से वेदखत किया जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान का पचास गुणा 7/- रुपये बतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके पर खड़ी फसल/ अन्य को जकत सरकार कर निलाम किया जावे आदेश की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11/7/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर इजलास सुनवाया गया एवं शामिल मिसल किया गया।


(प्रभात त्रिपाठी)
तहसीलदार मसूदा
जिला - अजमेर

